

विषय: प्रोविडेंस वित्तीय सहायता (चैरिटी के यि) नीतत-रूपिणी कै विफोतनयिा	नीतत संख्या: PSJH RCM 002 LAMKT	
विभाग: राजस्वि विक्र एवरींनि	<input checked="" type="checkbox"/> नया <input type="checkbox"/> सीशोधिति <input type="checkbox"/> सितिीक्षि	ददनांक : 3/22/2019
कायक्रि ािी एायोजक: Kimberly सुबिति िान, SVP तिुख्य राजस्वि विक्र अधिकार	नीतत सिामी: विकी प्रतिुख, Dir रोगी का उपयोग	
अनुमोदित दिािा: Providence तनरदेशक िींडि	कायांियन की तािीख : 5/1/2019	

प्रोविडेंस एक कै थोलिक नहरीं के तिए िाभ हेल्थकेयर सरींगठन सभरीं की सेिा के अपने विशन के तिए एक प्रतिबद्धिा के दिारा तनरदेशक है, विशेष रूप से जो िोग गर ब और कजोर हैं, करुणा, गररिा, ंींयय, उत्कृष्टिा और अखींइिा के अपने ि ि यों दिारा, और विश्िास है क हेल्थकेयर एक िानि अधिकार है। यह दर्शन और एतयेक प्रोविडेंस अस्पतिा के अभ्यास है क आपाि और धिकतसकीय आिश्यक सिास्य सेिाओीं के सिुदायों हि सेिा िेे उन िोगों के तिए आसानी से उपवि्वि हैं, उनके तिए भुगतिान करने की क्षितिा की परिाह कए बनना

स्कोप:

यह नीति सभरीं प्रोविडेंस सिास्य और सेिाओीं के तिए िागू होिा है-रूपिणी कै विफोतनयिा ("प्रोविडेंस") कै विफोतनयिा के राज्य िेे िांस एींजलस काउटींट िेे अस्पतिा, और सभरीं आपािकाि न, ित्काि और अींय धिकतसकीय आिश्यक सेिाओीं िेे प्रोविडेंस अस्पतिाों दिरण प्रदान की िांस एींजलस काउटींट (प्रयोगात्िक या खोजी द्खभाि के अपतिाद के साथ)। इस नीति िेे शालििि प्रोविडेंस अस्पतिाों की एक सरीं प्रदर्शनी िेे एक किर सुवििाओीं की सरीं िेे पाया जा सकिा है।

इस नीति को एक १९८६ के आींरि रजस्वि संहिा की दिारा 501 (आर) के साथ सुसरींगति िर के से व्याख्या की जाएगी, के रूप िेे सरींशोधिति, और, कै विफोतनयिा िेे प्रोविडेंस अस्पतिाों के सरींविं िेे, अस्पतिा उधिति ि य तनिाण नीतियों कै विफोतनयिा सिास्य और सुरक्षा िेे उल्लिखि कोड (अनुभाग 127400-127446)। ऐसे कानों और इस नीति के उपबरींो के बरीं सरींघष की स्थिति िेे ऐसे कानों को तनींविि कया जाएगा।

उद्देश्यः

इस नीति के उद्देश्य के लिए एक तनष्पक, गैर भेदभाषिपूर्ण, प्रभाषिणी, और सतिान वधि के वित्तीय सहायिा (सिान दखभाषि) के प्रासिान

के लिए पासि वयजतियों, जो पूणश या धिककत्सकीय आसिश्यक आपासि सस्थत के लिए भाग सिेेे भुगसिान करने सिेेे अससिथश रहै है के लिए सुतनशसििि करने के लिए है और प्रोवसिडेेेस हॉस्पटल्स द्िसारा प्रदंसन की गई अीय असपसिासि से सिेेे।

सभी सींघीय, राज्ज और स्थानीय कान ं का अनुपासिन करना इस नीत के उद्देश्य है। इस नीत और वित्तीय सहायिा कायसििेेेके

साथ-साथ, प्रोवसिडेेेस द्िसारा पद्रे पर हदए गए या सींिसिासििि प्रत्येक असपसिासि के लिए आसििकारक वित्तीय सहायिा नीत ('FAP') और आपासिकासि न धिककत्सा दखभाषि नीत के गठन।

नीति:

प्रोविडेंस डिसेस डिप्लोमा या रययायिणी कडि आय, अबीडिकाकृ डि और बीडिकाकृ डि और उच्च डि डिक्कतसा डिगडि के साथ रोगी के रूप डिडेे जो FPL के ३५० प्रतिशति से कडि है, जब से डिआओीं के डििए भुगडिान करने की कृडिडिा डि क पहुीं डिने के डििए एक बाडिा है के डििए अस्पडिाडि से डिाएीं प्रदान करेगा डिक्कतसकयी आडिशुक आपाडिकाडि न और अडीं अस्पडिाडि देखभाडि और कडिरेज का कोई डिैकड्लक सुडिे की पहडिान की गई है । डि रजों को अहशुडिा प्राप्डि करने के डििए इस नीतडि डिडेे डिडणडि पाडिडिा आडिशुक डिाओीं को पूरा करना होगा ।

सडिपश आपाडिकाडि न डिडिभागों के साथ प्रोविडेंस अस्पडिाडिों, भेडिभाडि के बनना, आपाडिकाडि न डिक्कतसा उपडिार और डि अडिडिनडि के अथश के भीडि आपाडिकाडि न डिडेडकडि शडिों के डििए देखभाडि प्रदान करेगा उपडिडि कृडिडिाओीं के अनुरूप, डिाहे कक तया कोई वुडुतडि

डिटुडिीय सहायडिा के डििए पाडि है । प्रोविडेंस आयु, नसुडि, रींग, पींथ, जाडिीयडिा, डिडि, रापूर य डि , डिैडिाहक इस्थतडि, डिग, यौन अडिडिास, डिडैंगक पहडिान या अडिडिुडुतडि, डिडिडिाडींगडिा, डिडिडिुडुतडि या सय इस्थतडि, या ककसी अडीं आडिार पर तनवषडु के आडिार पर

भेडिभाडि नह डीं करेगा सडींघडीय, राजुडु, या सुथानीय कान जब वडिटुडिीय सहायडिा determinations कर रह है । सडिपश आपाडिकाडि न

डिडिभागों के साथ प्रोविडेंस अस्पडिाडिों, भेडिभाडि के बनना, आपाडिकाडि न डिक्कतसा उपडिार और डि अडिडिनडि के अथश के भीडि आपाडिकाडि न डिडेडकडि शडिों के डििए देखभाडि प्रदान करेगा उपडिडि कृडिडिाओीं के अनुरूप, डिाहे कक तया कोई वुडुतडि

डिटुडिीय सहायडिा

के डििए पाडि है । प्रोविडेंस आयु, नसुडि, रींग, पींथ, जाडिीयडिा, डिडि, रापूर य डि , डिैडिाहक इस्थतडि, डिग, यौन अडिडिास, डिडैंगक पहडिान

या अडिडिुडुतडि, डिडिडिाडींगडिा, डिडिडिुडुतडि या सय इस्थतडि, या ककसी अडीं आडिार पर तनवषडु के आडिार पर भेडिभाडि नह डीं करेगा सडींघडीय, राजुडु,

या सुथानीय कान जब वडिटुडिीय सहायडिा determinations कर रह है ।

प्रोविडेंस अस्पडिाडि आपाडिकाडि न डिक्कतसा स्कीतनग पर कृाओीं प्रदान करेगा और उपडिार इस्थर, या सडींघडु और एक वुडुतडि को

सुथानाडींरडि अगर इस डिरह के हसुडिाडींरडि ४२ C. F. R ४८२.५५ के साथ उपडुतडि है । प्रोविडेंस ककसी भी कारशुडिाई, प्रडिेश प्रथुाओीं, या नीतडिडिों है कक आपाडिकाडि न डिक्कतसा देखभाडि की डिडींग से वुडुतडिडिों को हडिुडुतसाहडि करेगा, जैसे कृण सडींघडु गडिडिडिडिडिडिडिडि है कक आपाडिकाडि न डिक्कतसा देखभाडि के प्राडिडिान के साथ हसुडिडुडुप की अनुडिडिडि तनवषडु । प्रोविडेंस अस्पडिाडि आपाडिकाडि न डिक्कतसा

स्कीतनग पर कृाओीं प्रदान करेगा और उपडिार इस्थर, या सडींघडु और एक वुडुतडि को सुथानाडींरडि अगर इस डिरह के हसुडिाडींरडि ४२ C. F.

R ४८२.५५ के साथ उपडुतडि है । प्रोविडेंस ककसी भी कारशुडिाई, प्रडिेश प्रथुाओीं, या नीतडिडिों है कक आपाडिकाडि न डिक्कतसा देखभाडि की डिडींग से वुडुतडिडिों को हडिुडुतसाहडि करेगा, जैसे कृण सडींघडु गडिडिडिडिडिडिडिडिडि है कक आपाडिकाडि न डिक्कतसा देखभाडि के प्राडिडिान के साथ हसुडिडुडुप की अनुडिडिडि तनवषडु ।

आय योग्यता: सौंघीय गर वी सरि (एफपीए) पर आरिाररि आय रिापरींड का उपयोग रिुफ्रि या ररयायिी र्देखभादि के रिए पादििा तनरिाररि करने के रिए ककया जा सकिा है । कृपया ररििरण के रिए र्दर्शनरी वी र्देखेे ।

Determinations और अनसुोदन: रिर जोेे को पूणश ररििीय सहायिा आरिेदन और आरिशु्यक ररिेखन के रसुिुि करने के 30 र्दनेे

के भीरि FAP पादििा तनरिारण की अरिसि ना र्राप्ि होग। आरिेदन र्राप्ि होने के बाद, असादिारण सरींरह रुरयासोे को रिब रि क र्दरीं डरि

ककया जाएगा जब रि क क पादििा का ररििखरि तनरिारण रोगरी को नहरीं भेजा जादिा ।

असुपदिारि जानकार जो असुपदिारि का रिानना है ककगरिि या अरिशुिसनीय है के आरिार पर सहायिा के रिए पादििा का तनरिारण नहरीं कर र्देगा । **Determinations और अनुिोदन:** रिर जोेे

को पूणश ररििीय सहायिा आरिेदन और आरिशु्यक ररिेखन के रसुिुि करने के 30 र्दनेे के भीरि FAP पादििा तनरिारण की अरिसि ना र्राप्ि होग। आरिेदन र्राप्ि होने के बाद, असादिारण सरींरह रुरयासोे को रिब रि क र्दरीं डरि ककया जाएगा जब रि क क पादििा का ररििखरि तनरिारण रोगरी को नहरीं भेजा जादिा । असुपदिारि जानकार जो असुपदिारि का रिानना है कक गरिि या अरिशुिसनीय है के आरिार पर सहायिा के रिए पादििा का तनरिारण नहरीं कर र्देगा ।

रििाद समाधान: रोगरी न। र्राप्ि होने के 30 र्दनेे के भीरि रुरोवडेेस के रिए र्रासरींरगक असुिीकृ ररि की स अरिरररि र्दसुिारिेज र्दर्शन

करके वित्तीय सहायता के लिए अपाति का तनिाण अपीति कर सका है। सभी अपीतिों की सतिीक्षा की जाएगी और यह सतिीक्षा अस्तिीकृति की पुष्प्ट करिी है, िो वितिखति अतििस ना गारटरीं और राज्ज के स्िास्य वितिभाग को भेजी जाएगी, जहाीं आिश्यक हो, और कान के अनुसार। अपीति अपीति प्रक्रया प्रोविडेेंस द्वारिा इनकार की प्राप्ति के 10 हर्दनों के भीतिर सतिाप्ति होगी। एक अपीति Providence क्पेिीय व्यापार कायाशथिय, पीओ बॉतस ३२६८, पोटशतिडैं , या 97208-3395 करने के लिए भेजा जा सका है।

प्रकृपत दान: प्रोविडेेंस एक पूणश वित्तीय सहायता आिेर्दन के अतिातिा अींय सतिनों से अपने खातिे की शषे राश के लिए एक तिैरट सतिायोजन के लिए एक रिज को िींजूर दे सका है। इस प्रकार के तयजतियाीं एक उद्योग-तिान्यतिा प्राप्ति वित्तीय ति याकीं न टूति का उपयोग करके अनुतिानति आिार पर की जाएींगी जो सतििश बनक रूप से उपतिव्ति वित्तीय या अन्य रकॉडों के आिार पर भुगतिान करने की कृतिा का ति याकीं न करिा है, जसतिेें घरिीे आय, घरिीे आकार ति सतििति नहीं है, और के डिट और भगु तिान के इतिहास।

अंय विशेप रिस्सिततयोः रोगियों जो FPL के लिए पाति है तिेडके ड, Medi-सीएएति, और अींय सरकार प्रायोजति कति आय सहायता का ति के रूप ति, दरति होना सतिझा रहे हैें। इसतििए, ऐसे रोगियों को वित्तीय ति यक तिेें योग्य सहायता के लिए पाति है जब कायक तिेें कायक के भुगतिान से इनकार करिे है और क्पर रोगी को शुल्क विति सतिझे। गैर-प्रतिपूतििश शुल्कों के पररणातिस्रिूप रोगी खातिे की शष राश पूणश तििाशश तिेखन-बीर्द के लिए पाति है। विशेप रूप से शातिति ति कए गए योग्य के रूप तिेें तनन से सींवींशति शल्कु है:

- पेशेेंट तिेें नकारा रहिा है
- देखभाति के पेशेेंट हर्दनों से इनकार कर हर्दया
- गैर-कतिर से तिाएीं
- उपतिार प्राप्तिकरण अनुरोति (टार) खींडन
- प्रतिबींशति कतिरेज के कारण खींडन

भयातिह रकतसा खचि प्रोविडेेंस, ' अपने वितिेक पर, एक भयातिह शक्तिरकतसा खतििश की स्थति तिेें दान अनुदान कर सकतिे हैें। झरोगियों को एक वयजतिति आिार पर सींभातिा जाएगी।

आपातकालीन समय राष्ट्रीय हो या राज्य, आपातकालीन समय में प्रोविडेेंस के विवेक के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकती है, जो आपत्तिजनक खर्चों के लिए सहायता से मुक्त होगी।

सभी वित्तीय सहायता के लिए पात्र रिेगयो के लिए शषु क पिसीमा: कही रोगी जो ऊपर से कसी के लिए अहतिा प्राप्ति-नोट सहायता की श्रेणियों से अतििक के लिए वयजतिति

रूप से ज़िम्मेदार होगा "विधि आदि विधौ पर बन्धि" (AGB) सकृदं शुल्क का प्रतिशति, जैसा कनडिे परभाषण ककया गया है।

उचत भगु तान योजना: एक बार एक रिर ज को आशिक वित्तीय सहायिा के लिए विींजूर दे है, विेकन अभी भी कारण एक सींुिन है, Providence एक भुगिान योजना व्थिस्था बां विीं करेंगे। उधुि वि भुगिान योजना विासक भुगिान है कक एक रिर ज या पररिार की

विासक आय के 10 प्रतिशति से अधिक नहीं है, आशिक रहने विा विे खविों के लिए कटौिी को छोड़कर कक रोगी अपने वित्तीय सहायिा आदिेदन पर सीबद्ध शालवििि होंगे। भगु विान योजना व्थाज विु विि होगी। किरजे की वििवि अपीविों के साथ रिर जो के लिए भगु विान योजनाओीं की सियसीिा बढाई जाएगी।

विा वििं औिसंरह: उपविि छूट के आदिेदन के बाद रोगियों या गारिंट कविाशओीं दिारिा बकाया ककसी भी बकाया शप, यह कौई हो, सगुंरह करने के लिए भेजा जा सकिा है। बकाया बैविेस पर सगुंरह प्रयासों के FAP पावििा के आशिक विि तनविारण वििवि बरींद हो जाएगा। प्रोवििडेस प्रदर्शन, अनुवििि या सगुंरह एजेंसियों को या विो पहििे ककसी भी असाविारण सगुंरह कारशिाई करने की अनुविििि नहीं है: (क) यह तनविारिि करने के लिए एक उधुि विि प्रयास करना कक रोगी वित्तीय सहायिा के लिए उत्िीणश हो; या (ख) पहििे रोगी बयान के बाद १२० हदन भेजा जावििा है। प्रोवििडेस बववििग और रोगियों दिारिा बकाया रालश के लिए सगुंरह प्रथाओीं के बारे विे जानकारी के लिए, प्रोवििडेस अस्पविािि की नीति है, जो प्रत्येक प्रोवििडेस अस्पविािि के पींजीकरण डस्क, या पर तन: शुल्क उपविििि है देखने के लिए कृपया: www.providence.org.

संदर्भ:

आरकर राजस्व संहिता की धारा 501 (तन.); 26 C.F.R. 1.501 (r) (1) – 1.501 (r) (7)
कै त फोतनशया स्वास्थ्य और सुरक्षा कोड धारा १२७०००- १२७४४६
आपका नक्कतसा उपहार और श्रम अभिनय (EMTALA), ४२ यूएससी 1395dd
४२ C.F.R. ४८२.५५ और ४१३.८९
अरकी अस्पताली सीधो रैरट हृदशातनर्देश
कै त फोतनशया अस्पताली एसोलसपशन रैरट हृदशातनर्देश
कै थोलक हेलथके यर रैरट बसे धाओीं के हृदशा तनर्देशों पर कै त फोतनशया एायीस
प्रोवडेंस सेंट यूसुफ स्वास्थ्य Uninsured हृदशातनर्देशों के त ए प्रतबद्धा
प्रवडा प्रतपूतश नैनुअ, भाग ३ अध्याय 3, धारा ३१२



एदशनी एक-कित्ति सुविधाओं की स ी

Providence Hospitals in Southern California	
Providence Saint Joseph Medical Center	Providence Holy Cross Medical Center
Providence Little Company of Mary Medical Center San Pedro	Providence Saint John's Health Center
Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center	Providence Little Company of Mary Medical Center Torrance

प्रदशन िी क्पिणी कै त्फोतनिया में प्रोविडेंस अस्पतािों के लिए आय योग्यता

यदद...	त्फि...
पररिार के आकार के लिए सियायोज्जति िावषक्क पाररिारक आय ििशिणान FPL हर्दशातनर्देशों के ३००% पर या उससे कि है,	रोगी को आग्रथश करूप से रररि होना तनरिाररि है, और त्तितीय सहायिा १००% रोगी की र्जिींरिेर्दर रालश पर त्तिखने के लिए उत्त्िीणश ।
पररिार के आकार के लिए सियायोज्जति िावषक्क पाररिारक आय, ििशिणान FP हर्दशातनर्देशों के ३०१% और ३५०% के बीरि है,	रोगी की र्जिींरिेर्दर रालश पर र्िि शुल्क से ७५% की छू ट के लिए पािि है ।
यहर्द िावषश क्पररिार की आय, पररिारकेआकार के लिए सियायोज्जति, पर या नीरिे है ३५०% FPL और रोगी अपने िावषश क् पररिार की आय का 20% से अग्रिक िेेे प्ििश 12 ििह नों िेेे प्रोविडेंस अस्पतिािों के िेेे कु िि र्क्तिक्कत्सा खििश क्कया है, पररिार के आकार के लिए सियायोज्जति, से ििाओीं के लिए इस नीतकिे अिीन रहिेे ह्ए,	रोगी की र्जिींरिेर्दर रालश पर १००% र्दान ििाभ के लिए पािि है ।